FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...उपखण्ड अधिकारी... मुकाम ...बायतु...

...काना्राम वगैरा... बनाम ...नारणाराम वगैरा...

किस्म मुकदमा ...रा० आवेदन... नं. ...401/2020... सन् ...2020...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...रिछपालराम सियाग... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111/128 RLR... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...28/01/2021... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/01/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल हुआ प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया/ विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 26/04/21 को पेश हो।	
26/04/21	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/09/2021 को पेश हो। //	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
क्रमांक/वाद/2021/1334
प्रार्थी

15/09/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः पत्रावली बहस दिनांक 14/10/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

14/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/11/2021 को पेश हो।

10/11/2021 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत सिणोदिया में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लगते आये हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व हद आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सीमा का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत के सीमा को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत के सीमा का सही ज्ञान करने हेतु पत्थरबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है [illegible] कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी [illegible] मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा कर [illegible] / पालना रिपोर्ट [illegible] पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली [illegible] से दूर हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1334 दिनांकः– 22/11/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कानाराम पुत्र रेंवताराम वगैरा 10 जाति सुथार, निवासी लीलाला पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु(बाड़मेर)		1. नारणाराम पुत्र पोकरराम वगैरा 44 जाति सुथार , नि. लापला पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 401 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – मिठियातला, पटवार मण्डल – बायतु पनजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 329 रकबा 14.0928 हैक्टयर तथा मौजा लीलाला पटवार बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर खसरा नं. 321, 322, 323 रकबा क्रमशः 0.0324, 0.1052, 7.5075 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पुक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1335-39 दिनांकः– 22/11/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कानाराम पुत्र रेंवताराम वगैरा 10
4. विप्रार्थी श्री नारणाराम पुत्र पोकरराम वगैरा 44
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु